

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत राज्य जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया(बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ में विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक व्यय संभावित है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	प्रति न्यायालय पद संख्या	पद संख्या
1	विशेष न्यायाधीश	57700-1230-58930- 1380-67210-1540- 70290		01	05
2	रीडर ग्रेड-1	9300-34800	4300	01	05
3	स्टेनोग्राफर	5200-20200	2800	01	05
4	एक्जीक्यूशन क्लर्क	5200-20200	2400	01	05
5	डिपोजेशन राइटर	5200-20200	1900	01	05
6	प्रोसेस राइटर	5200-20200	1900	01	05
7	प्रोसेस सर्वर	5200-20200	1800	01	05
8	वाहन चालक	5200-20200	1900	01	05
9	जमादार	4750-7440	1400	01	05
10	भृत्य	4750-7440	1300	01	05
योग-				10	50

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 2

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु ₹ 2475.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 24,75,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक व्यय संभावित है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	प्राचार्य	37400-6700	10000	01
2	सहायक प्राध्यापक	15600-39100	6000	10
3	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01
4	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	01
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200	2400	03
6	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	01
7	भृत्य	4750-7440	1300	02
योग-				19

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 4

चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु ₹ 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु ₹ 240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जाति की युवतियों के लिए ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 7.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है । उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 7.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ₹ 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास हेतु ₹ 252.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 10

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए ₹ 72.96 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 72,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 11 से 13

केन्द्र प्रवर्तित पशु पक्षियों के टीकाद्रव्य तथा औषधि औजार क्रय करने हेतु ₹ 160.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

ग्रामीण बैकयार्ड कुटकुट पालन योजना हेतु ₹ 4.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 14 से 15

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटीकरण हेतु ₹ 80.47 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 80,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत ` 211.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,11,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17

पीली मटर, दाल वितरण योजना हेतु ` 1005.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 10,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 18

शक्कर वितरण योजना के लिए ` 374.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,74,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19

रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु ` 201.96 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,01,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 20

प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास के भवन निर्माण के स्थान परिवर्तन हेतु ` 105.48 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

क्र.	स्वीकृत भवन निर्माण कार्य का नाम/ स्थान	परिवर्तन स्थान
1	50 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे विकास खण्ड बलौदा जिला जांजगीर चांपा	50 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चारापारा विकास खण्ड बलौदा जिला जांजगीर-चांपा

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 21

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास मद हेतु ` 302.85 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,02,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 22 से 23

108 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण एवं 132 आंगनबाड़ी भवनों के उन्नयन पर ₹ 618.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 6,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।